

Title: Regarding International Women's Day.

MR. SPEAKER: Now, the House will take up Zero Hour. Shrimati Margaret Alva.

...(Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA (CANARA): Today is the International Women's Day. ...(Interruptions) Please allow us to speak....(Interruptions)

MR. SPEAKER: Today is the International Women's Day. First, there will be women Members and then only male Members. Seven women Members are there.

...(Interruptions)

SHRIMATI MARGARET ALVA : Sir, this is the day to mark women's struggle for recognition and acceptance as equal citizens. It unites women around the world as we celebrate achievements and raise our voice in support of those who are still denied their rights, like Su Ki in Myanmar, women of Kuwait who still do not have the right to vote, women in jails, in war-torn countries, victims of disasters, especially in Gujarat, Nicaragua and large areas of Africa and Asia.

In India, we have come a long way but we are still victims of violence, discrimination and neglect. The girl child in her mother's womb cries for the right to live, the child widow begs for her childhood days, innocent girls sold into prostitution peep out of brothel windows wishing for a life of dignity outside. The aged and the widows seek love and care, the young brides cry freedom from dowry harassment, the working women equal wages with the men, and recognition of their work in the family farms and enterprises, while all of us seek a place for women in the decision-making power structures of our society and the nation.

Some of us may believe that the aspirations of Indian women can be silenced by our shouts and slogans against their rights, in the well of this House. But we are too many and too strong and too determined for that. The Government promises the pending Reservations Bill every session, but bows to pressures and withholds discussion. It refuses to discuss the proposed Policy for Women with us. The National Commission lacks autonomy and authority and the Finance Minister reduces interest rates on small savings which is women's only safe investment. WTO and globalisation's spurned reforms, are destroying the small enterprises which were the life line of women, while indiscriminate imports of farm and food products are ringing the death knell of rural women. We seek today, the right to live in dignity, as free citizens; to participate as equals in the decision making processes; and to be accepted as partners in national development. This nation cannot march ahead leaving behind 50 per cent of its vital human resource.

We, therefore, ask the Government and the nation to respond to our call for equity and accept us as equal citizens in our own motherland. It is not charity we seek but justice.

PROF. A.K. PREMAJAM (BADAGARA): Sir, I am very grateful to you for having given me this opportunity. I do agree with what Shrimati Margaret Alva had already stated in this august House.

Today, the world over International Women's Day is being observed. I need not go into the details of the struggles and agony the women all over the world have gone to for what little achievement we have already made. The Indian women are, of course, far ahead of many others in other countries.

At the same time, I would like to explain the condition of women in India on this occasion. Here, in India, the Central Government have proclaimed the year 2001 as the Year of Empowerment of Women and they have chartered some official functions also. But these functions have nothing to do with the suffering of the ordinary poor masses of women, which form 50 per cent of the total population of this great country. Sir, certain functions are held in Delhi alone where the invitees are all upper middle class women and some lucky men also.

Sir, a logo, in this connection, has been published by the Government of India, which is a very backward looking and also which reveals the retrograde attitude of the Government. I would just like to say that this logo is containing the figure of a woman and a child and the woman is looking backward. This shows the ideology of the present Government led by BJP...(Interruptions)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महिला दिवस पर सारे हाउस को एक जैसी आवाज उठानी चाहिए। (व्यवधान) हर बात की यहां आलोचना की जाती है। (व्यवधान)

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, he can look at the logo which has been published by the Government of

India...(Interruptions) I am not inventing anything...(Interruptions)

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : Sir, it should not be controversial. मार्ग्रेट जी ने जो बात रखी, उसका सब को समर्थन करना चाहिए। (व्यवधान)
This is not the way of speaking on this occasion...(Interruptions)

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, let me be allowed to speak. I do not disturb others when they speak...(Interruptions)
Yesterday, I was listening to him when he was speaking on the Motion of Thanks to the President's Address...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Madam please.

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, this is the way we are treated even in this august House...(Interruptions)

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : हर बात में पॉलिटिक्स ले आते हैं।

PROF. A.K. PREMAJAM: This is not politics, this is the condition of women...(Interruptions) They have politics and that politics is still revealed in this House through this logo...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats.

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, it is more than one year since the Eighty-Fifth Constitutional (Amendment) Bill for reserving 33 per cent of seats for women in Parliament and also in State Legislatures has been listed in this House, that is on record, to be precise, on the 23rd of December 1999. But it has not been considered so far. We are asking that this should be considered and put to vote.

I would like to know what is the intention of the Government with regard to Eighty-Fifth Constitutional (Amendment) Bill which aims at reserving 33 per cent seats for women. We are asking only for 33 per cent of seats whereas we have a right to have 50 per cent of seats in this House and in State Legislatures...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I am calling the women Members first.

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, the Budget, presented this year, is actually against the women of this country.

Actually when the benefits given to the family are taken away, it is actually the women who suffer the most. So, I request you, Sir, to give a direction to the Government to take up the 85th Constitution (Amendment) Bill during this Session, get it considered and also put to vote.

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 2001 सन् महिला सशक्तिकरण के नाम से घोषित किया है जिसके लिये सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं आपका ध्यान बी.जे.पी. एवं अन्य सहयोगी दलों के राष्ट्रीय एजेंडा की ओर दिलाना चाहती हूँ जिसमें महिलाओं की शक्ति सम्पन्नता के लिये संसद और राज्य की विधानसभाओं में 33 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने हेतु कानून बनाये जाने को कहा है। मैं आपको महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कही गई इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण संबंधी बिल जो अभी पेंडिंग है, उसको सर्वसम्मति से 33 प्रतिशत स्थान देने के लिये बिल पास करना चाहिये। हमारी संस्कृति 5000 वां पुरानी है और हम मानते हैं 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, स्मन्ते तत्र देवताः' हमारी गुजराती में कहावत है: 'जेकर जुलाणे पारणुतेकर जगत पर शासन करे।' इसलिये मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो हमारा महिला आरक्षण विधेयक है, वह बिना चर्चा के पारित हो ताकि हमारी पिछड़ी महिलाओं को न्याय मिले। हम लोग देवी-देवताओं को प्रणाम करते हैं, उनका नमन करते हैं और यह हमारी संस्कृति और संस्कार रहे हैं कि हम लोग पेड़-पौधों, नदी और तालाब की भी पूजा करते हैं। आपको याद होगा इस शताब्दी का सबसे बड़ा कुम्भ मेला हुआ और तीन करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा स्नान किया।

MR. SPEAKER: You are not allowing the other lady Members to speak.

श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं चाहती हूँ कि हमारा महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो। अंत में मैं कहना चाहूंगी :

तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। भारत माता की जय।

SHRIMATI MARGARET ALVA : Sir, it is a tribute to women if you have this Bill listed and discussed. Please have it listed. ...(Interruptions)

DR. (SHRIMATI) CH. SUGUNA KUMARI (PEDDAPALLI): Mr. Speaker, Sir, I totally associate with the senior Members, Shrimati Margaret Alva, Prof. A.K. Premajam and Shrimati Bhavababen Chikhaliya.

This year is a year for upliftment of women. Today is International Women's Day. The Government will not get more auspicious day than this day. All the people of India, all the women of India, and almost all the political parties in the country are on record that they are for the Women Reservation Bill. The Government is not serious on this issue. Hence, I request the Government to introduce this Bill, get it discussed and passed.

डॉ. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्नों को लेकर मौसम की तरह महिला दिवस आता है। हम लम्बित मामलों को उठाते हैं, कुछ

संदेशा, झूठे-सच्चे पंख फड़फड़ाते हैं और इस दिवस के कुछ कसमें-वादे तथा कुछ समारोह के बीच में इस दिन की समाप्ति हो जाती है। आज महिला दिवस के अवसर पर मारग्रेट जी ने जिस प्रश्न को उठाया है, हम सब उनका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, गांधी जी ने 1922 में 'हरिजन' पत्रिका में कहा था कि आजादी का अर्थ निरर्थक होगा, प्रजातंत्र का कोई मायना नहीं होगा, यदि एक पंक्ति में खड़े हुये पहले और आखिरी व्यक्ति को एक जैसा अधिकार नहीं मिल जायेगा। लेकिन हम उस पंक्ति से बाहर थे। संविधान में अधिकार मिले लेकिन फिर भी मानसिकता नहीं बदली। हम लोगों को सशक्तिकरण करने और दूसरी बातों पर आज हमारी स्थिति वहीं की वहीं है।

इसलिए उन महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हममें से कुछ बहनें यहां संसद तक आ पहुंची हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से लम्बित उस मसले को जो गांधी जी ने कहा था, जिस पर संवेदना के पंख लगाकर राजीव जी ने महिलाओं की 33 प्रतिशत की भागीदारी निर्णय लेने में हासिल करने के लिए जिस पंचायत बिल को पास किया था, उसकी अगुवाई में हमें संसद और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत की भागीदारी मिले। लेकिन उससे साथ-साथ एक दूसरा प्रश्न भी है। लेकिन यहां सबसे बड़ी जरूरत सरकार की मानसिकता की है। यदि सरकार दृढ़ निश्चय के साथ इस बिल को लेकर आये तो निश्चित तौर पर इस बिल को स्वीकृति मिलेगी। चूंकि लगभग सभी पोलिटीकल पार्टियों ने अपने-अपने मेनिफेस्टों में इसे पारित करने की बात कही है और सभी राजनीतिक दलों को इस पर स्पष्टता के साथ, महिलाओं के साथ आना पड़ेगा।

लेकिन माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से महिलाओं की आज की स्थिति विशेषकर कुपोषण, अत्यधिक कार्य, शिक्षा की कमी की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूँ। हम नये मिलेनियम में पहला महिला दिवस मनाने जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां गंभीर हैं। महोदय मैं याद दिला दूँ कि यदि हम रक्त अल्पता की बात करें तो केवल आपकी स्टेट में भी हमारी छः साल की 67 प्रतिशत बच्चियां एनीमिया से ग्रसित हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से खराब है। आज 15 मिलियन बेबी गर्ल पैदा होती हैं, जिसमें से 25 प्रतिशत 15 साल भी पूरे नहीं कर पाती हैं और उनका देहांत हो जाता है। मैटरनल मॉर्टैलिटी रेट और पॉल्यूशन के साथ जूझती हुई महिलाओं की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। मैं आपके माध्यम से

â€(‹(व्यवधान)आप महिलाओं की बात सुनिये। हम अपेक्षा करते थे कि इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण की कुछ बातें आर्येंगी। लेकिन महिलाओं को इस बजट में पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि दहेज पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में, लघु उद्योगों के लिए नियम बनाने के संबंध में और व्यावसायिक शिक्षा तथा महिलाओं के लिए टेक्नीकल एजुकेशन को पूरी तरह से प्री करने के संबंध में सरकार कुछ निर्णय ले।

â€(‹(व्यवधान)

MR. SPEAKER: Madam, what is this? It is to mention the problems of women and to send important messages only.

डा.गिरिजा व्यास : महोदय, मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि यही हमारी नियति है। अभी-अभी प्रमोद महाजन जी आने वाले अगले सप्ताह का विवरण पढ़ रहे थे और दुख के साथ हम अपनी नियति पर फिर संभवतः रोना रोने की बात कर रहे थे। अगले सप्ताह भी महिलाओं के आरक्षण संबंधी बिल की कहीं कोई बात नहीं है। यह अंतिम दिन में आयेगा और बिल की परिणति संभवतः वही होगी कि कुछ हाथों से यह फाड़ा जायेगा और कुछ लोग आनन्दित होंगे कि इसका तो यही हथ्र होना चाहिए।

â€(‹(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : यहां तक पहुंचने के पहले आप पड़ोसी को भी तो कुछ समझाइये, अपने पड़ोसी को भी तो समझाइये।â€(‹(व्यवधान)

डा.गिरिजा व्यास : इसलिए महिला दिवस की जो प्रासंगिकता है उसे महसूस करें और न केवल 33 प्रतिशत की भागीदारी बल्कि महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर संसद कुछ निर्णय ले, तब तो इस महिला दिवस की कुछ प्रासंगिकता है।â€(‹(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (संभल) : यह बताओ कुछ लोग कौन हैं।â€(‹(व्यवधान)हम इसके पक्ष में हैं।

डा.गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी -

'अभी तेवर कहां बदले हैं इनके अभी भी अपना दौर है इन्कलाबी का,

अभी भी सेहरा है तपिश बाकी है, अभी मौसम कहां गुलाब गुलाबी का। '

लेकिन मौसम की आमद जरूर होगी, ज्यादातर मानसिकता महिलाओं के पक्ष में है।

*SHRIMATI SANDHYA BAURI (VISHNUPUR): Hon'ble Mr Speaker Sir, thank you very much for giving me an opportunity to participate in the important discussion. Today, being the International Day for Women is a very significant day especially for women. We feel proud for what we have achieved in all these years. But we are equally agitated for what we have failed to achieve so far. So I feel there is a need to discuss certain issue in this regard. I totally agree with what my hon'ble colleagues have mentioned so far. I would like to raise certain issues about the position and condition of women in the prevailing situation. Today we the women have remained the backward lot in spite of so many agitation promises, programmes, seminars and legislative procedure because of the prevailing social system and that is why women are being suppressed and oppressed. Because of the faulty policy of the Government the public distribution system has gone haywire. Women have to look after the family and find ways and means to maintain everything properly. All of us have grave concern over the staggering rise in prices of essential commodities causing great hardship to women who have to manage the family somehow with limited means.

The Government also fails to provide adequate fund in health and education sector causing grave repercussion for the development of women. Although health and education are very important, yet these two sectors have been neglected since long. Adequate fund has not been allocated either for health and education. The mother must be healthy so that the child she bears is born healthy. And also the mother must be properly educated so that the children have the benefit of education. Emphasis has been laid on women's health, education, rape inside and outside the family, domestic violence and abduction and transfer of women and girl child for flesh trade in Beijing five plus Conference. Stringent punishment has also been advocated for persons involved in these crimes. But it is a matter of _____ * Translation of the speech originally delivered in Bengali.

regret that the report of Government of India on these issues is very disappointing. It has been admitted in the report that most of the suggestions and commitments of 4th Beijing Conference held five years back have not been implemented so far. 6% of internal production was promised to be spent on education. Now the percentage in the field of education is only 3.8%. For the anti people policy of the present Government, 7 crore more people are now in below poverty line. The large part of this population is women. Government have initiated the process of closing down many factories so as to curtail expenditure. The women working in the factories have to face the brunt of the faulty plan of the Government. Attention has to be focused on these facts.

Society is passing through a very alarming situation. The economic condition of the poor has dwindled so low that many girl children have been forced to go for flesh trade. The income out of prostitution in the country is to the tune of Rs 40,000 crore. 12% of this amount is being earned by girl below 12 years. It is a matter of concern for all of us. As per study report of National Human Rights Commission, 2 lakh 70 thousand women occupied in flesh trade are girls between 12 and 14 years old. If we fail to take adequate steps so as to stop the menace, the situation in the society would become all the more bleak. I urge upon the voluntary organisations, the NGOs and above all the Government to adopt some appropriate measures to check this trend. I also urge upon the Government to bring the Bill for empowering women so that they can be a party to decision making. Women from poor class, women who are economically educationally challenged can take up their own problem and discuss it with others. Women have been playing a commendable role in Panchayat. If they can function so well in Panchayat level, why they should not be able to do so or even better in the Assembly and Parliament. Every time we find that an attempt is made to introduce the Bill on Empowerment of Women in every session with all fanfare.

But the attempt always remains futile because of stiff opposition by some members and party. This farce should be stopped once for all. I urge upon the Government to adopt an honest and sincere attempt to introduce this important Bill and pass it. After the introduction of the Bill, people can present their views and participate in the debate. It is only when the provisions of the Bill are discussed and debated in the House, one can take the decision about the merits and demerits of the provisions in the Bill. So before I conclude I once again urge upon the Government to introduce the Bill and after discussion pass it in the present session. It is only after providing 33% reservation to women, some kind of empowerment can be achieved. Thank you once again to participate in the observation on International Day for Women.

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं बहुत संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात रखूंगी। हम लोग जानते हैं कि आदिकाल से ही सृष्टि के उद्भव की बात हो या विकास की बात हो, नारियों का सम्मान होता आया है। आदिकाल में नारियों का इतना मान था कि वेद की ऋचाएं लिखने में महिलाएं सहयोग करती थीं। गार्गी और मैत्रेयी जैसी महिलाएं वेद की ऋचाएं लिखने में सहयोग करती थीं। हम सब लोग जानते हैं कि महाभारत काल हो या रामायण काल हो, हर युग में महिलाएं अपना योगदान देती रही हैं। हम लोग नहीं भूले होंगे कि राजा दशरथ जब एक बार मैदान में दुश्मन के साथ युद्ध कर रहे थे तो उनके रथ का एक पहिया टूट गया। दशरथ की पत्नी कैकेयी ने पहिये की जगह अपना हाथ रख दिया जिस कारण दशरथ युद्ध करते रहे और उस युद्ध में विजयी हुए।

अध्यक्ष महोदय, कैकेयी ने भी राम को इसलिए वन जाने का आदेश दिया ताकि रावण का नाश हो सके। यदि कैकेयी राम को वन नहीं जाने देती, तो रावण का नाश नहीं होता और यदि रावण का नाश नहीं होता, तो असामाजिक ताकतें जो अभी भी हैं, उनका नाश नहीं होता। कैकेयी को समाज ने बहुत दुतकारने का काम किया है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि उस काल में केवल, एक मात्र कैकेयी ही ऐसी नारी थी जो समाज की सच्ची हितैषी थी। यदि वे राम को वन नहीं भेजतीं, राजा बना देतीं और अयोध्या के राजमहलों में ही उनको कैद कर के रखा जाता, तो रावण जैसे महापापियों का नाश कदापि संभव नहीं था। इसलिए कैकेयी ने समाज के व्यापक हित में राम को वनगमन का आदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैडम महिलाओं की प्रब्लम्स के बारे में बताइए।

श्रीमती रेनु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाई में नारियों का महान् योगदान रहा है। चाहे फिर झांसी की रानी हो या अहिल्याबाई, कस्तूरबा गांधी या इंदिरा गांधी हों या अन्य महिलाएं हों। बहादुरी के कारनामों से महिलाओं का इतिहास भरा पड़ा है। उनका योगदान हम कभी नहीं भुला सकते। वे बहादुर महिलाएं ही थीं जिन्होंने बहादुर सपूतों को जन्म दिया, जो देश की आजादी की खातिर हंसते-हंसते फ्रांसी पर चढ़ गए। यदि महिलाएं नहीं होतीं, तो ऐसे सपूत देश को कौन देता जो फ्रांसी को चूमते हुए उस पर लटक गए। यदि महिलाएं नहीं होतीं, तो देश आजाद नहीं हुआ होता।

अध्यक्ष महोदय, जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्षति यदि किसी को भुगतनी पड़ी है, तो वे महिलाएं ही हैं। लड़ाई में महिलाओं ने अपने बहादुर लाल

खोए हैं, उनकी कोख सूनी हो गई, महिलाओं की मांग ही सूनी हुई है और महिलाएं ही अपने भाइयों के हाथ में राखी बांधने से महरूम हो गईं। महिलाएं ही हैं जिन्होंने हमेशा सबसे ज्यादा त्याग किया है। तभी तो शास्त्रों में भी लिखा गया है-

" यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:"

अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा त्याग करने वाली नारी की आज हालत बहुत खराब है। हमारे समाजवादी नेता डा. राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि नारी की सहभागिता के बिना हुआ विकास अधूरा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ कि वर्तमान सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को लाया जाए और उसे पारित किया जाए। महिलाओं की मानहानि न की जाए बल्कि विधेयक को पारित किया जाए। महिलाएं शक्तिमान हैं। वे वित्त और रक्षा मंत्रालय भी संभालने में सक्षम हैं। उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है, वह शर्मनाक है। मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ कि महिलाओं के उत्थान के लिए आगे आएं और महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराएं। मैं इतना कह कर ही अपनी बात समाप्त करती हूँ।

SHRI MADHAVRAO SCINDIA (GUNA): Sir, a lot of male Members also want to participate in the debate. Please give them also a chance.

MR. SPEAKER: I will first allow lady Members; then male Members.

श्रीमती जयाबेन बी.ठक्कर (वडोदरा) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा इस र्वा को महिला र्वा घोषित किया गया है। इसके लिए मैं सरकार को महिलाओं की ओर से बधाई देना चाहती हूँ। इस र्वा सरकार महिलाओं के उत्थान और कल्याण के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। महिलाओं के उत्थान के लिए भारत सरकार ने बहुत से आयोजन किए हैं और अनेक योजनाएं बनाई हैं। इनमें चार सशक्त महिलाओं को एवार्ड देने का काम किया गया है। यह अच्छी शुरुआत है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रश्न है, उसमें यह प्रमुख है कि हम महिलाओं की भूमिका को किस रूप में स्वीकार करते हैं, यह देखने की बात है। महिलाएं नारी से नारायणी बन जाती हैं। जहां वे नर को जन्म देती हैं वहां उसकी रक्षा भी खुद नारायणी बनकर करती हैं। इस प्रकार से वे समाज की रक्षा करने का दायित्व भी निभा सकती हैं।

इसलिए नारी का स्थान, यह वाद-विवाद का स्थान हमारे देश में नहीं रहा। हमारे राष्ट्र की आधारशक्ति स्त्री को माना गया है और सत्य है। उसका जो भी रोल जहां भी रहा, उसने अपना दायित्व बहुत अच्छी तरह से निभाया और निभाती रहेगी। हमारी पुरानी संस्कृति में भी विदुषि महिलाएं रही हैं और इस राष्ट्र को संरक्षण देने वाली भी महिलाएं रही हैं। महिलाओं का जितना सम्मान यह राष्ट्र करता है, उतना और कोई राष्ट्र नहीं करता, यह मैं मानती हूँ।

अब दूसरी बात 33 प्रतिशत आरक्षण देने की है, तो उसको भी वाद-विवाद में घसीटा न जाये। भारतीय जनता पार्टी ने अब मानसिकता बना ली है और उसके द्वारा ही संकल्प पारित किया गया है, उसको सभा पटल पर रखा गया है। अब हम यह चाहेंगे कि सदन में स्थित हमारे सभी सांसद भाई और सभी पार्टियों के नेताओं की यह मानसिकता बननी चाहिए कि हमें आरक्षण दिया जाये। जब आरक्षण की बात आई है तब मैं यह जरूर कहूंगी कि जो भी महिलाएं काम करती हैं, उसमें वह खूब निठापूर्वक, प्रामाणिकतापूर्वक अपना कार्यभार निभाती हैं, उसमें उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माननीय ममता जी को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि उन्होंने 12 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देने की पहल की है। सारी पार्टियां अब जो आने वाले चुनाव हैं, उसमें यह भी निर्णय करे, तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं के प्रति उनका जो भाव है, वह प्रदर्शित होगा। धन्यवाद।

MR. SPEAKER: All the other lady Members who could not give notices, may also associate with these lady Members. Now, the Government will say something.

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर **â€(‹(व्यवधान)** अगर आप चाहें और मैं न बोलूं। **â€(‹(व्यवधान)**

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): We want a woman Minister to reply.

श्री मुलायम सिंह यादव : आज महिला दिवस है और महिलाओं के लिए हमारी शुभकामनायें हैं लेकिन दुर्भाग्य से **â€(‹(व्यवधान)**

MR. SPEAKER: But he is the Minister of Parliamentary Affairs.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, Shri Somnath Chatterjee wants a woman Minister to reply. I appreciate his concern. But the only woman Minister is fighting with him in West Bengal. So, she is not here to reply **â€(‹(Interruptions)**. I am talking about Cabinet Minister.

अध्यक्ष महोदय, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सदन के सभी दलों की महिलाओं ने अपनी भावनायें यहां व्यक्त की हैं, उसमें राजनीतिक पहलू आज के दिन के लिए क्षण मात्र हम भूल जाते हैं कि किस ने क्या कहा लेकिन मैं समझता हूँ कि सदन उनकी इस भावना से सहमत है कि वह समाज का 50 प्रतिशत हिस्सा है और मुझे लगता है कि जहां तक जागृत जनसंख्या है, उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। भारत में भले ही पुरुष 52 प्रतिशत और महिलाएं 48 प्रतिशत हैं लेकिन दुनिया में महिलाएं 52 प्रतिशत और पुरुष 48 प्रतिशत हैं। यह आधे से ज्यादा अपने समाज का हिस्सा है और कोई भी शरीर का आधा अवयव अगर ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो कभी इस शरीर का विकास हो ही नहीं सकता इसलिए मैं सरकार की ओर से और सभी पुरुष सदस्यों की ओर से महिलाओं को आश्वासित करता हूँ कि उन्होंने जो भी भावनायें व्यक्त की हैं, उन भावनाओं के संबंध में हमारा कोई अलग मत नहीं है। यहां बहुत सारी महिलाएं बोलकर चली गयी हैं इसलिए मैं नाम लेकर किसी का उत्तर नहीं दे सकता। यहां केवल दो महिलाओं के छोड़कर बाकी सभी महिलाएं चली गई हैं। **â€(‹(व्यवधान)** लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह ठीक है कि महिलाएं मां, बहन, पत्नी के रूप में हर घर में होती हैं। हर पुरुष के जीवन से जुड़ी होती हैं इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी पुरुष सदस्य की यह कल्पना हो सकती है। **â€(‹(व्यवधान)**

PROF. A.K. PREMAJAM : Sir, the Minister must accept them as colleagues, not as wives or sisters or children alone. He should accept them as equal partners.

MR. SPEAKER: You should accept them as your colleagues.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: I do not mind, Sir, but in my place if a woman describes man, she will say that वह पति, पुत्र और पिता होते हैं। इसमें रिश्तों में कोई कमी ज्यादा करने का भाव मेरे मन में नहीं है।

बेसिकली क्लास स्ट्रगल की फिलॉसफी होने के कारण आपको इसमें भी क्लास स्ट्रगल दिखाई दे रही है। मैं यह नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि पुरुष और महिला एक ही स्थिति के दो पहलू हैं, उसमें कोई छोटा-बड़ा नहीं है, दोनों को मिल कर चलाना है।

यहां महिलाओं के आरक्षण का एक विशेष मुद्दा उठा था जिसके बारे में मैं स्पष्टीकरण देना आवश्यक समझता हूँ। यह सच है कि इसी संसद ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण एकमत से, बिना विवाद के दिया था। जब हमको अपना आरक्षण करने की नौबत आई तो उसमें स्वाभाविक रूप से विवाद खड़ा हुआ। मैं सरकार की ओर से एक बार फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण का विधेयक जैसा बना है, सरकार उसको निश्चित रूप में पारित करना चाहती है, इसमें किसी मानसिकता, इच्छाशक्ति में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहां जो सम्मानित महिला सदस्य बैठी हैं, वे इस चीज को जानती हैं कि महिलाओं को आरक्षण सरकार नहीं देती, संसद देती है। (व्यवधान)

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो) : चर्चा के लिए लाइए।

श्री प्रमोद महाजन : एक बार लाया गया था।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : आपने केवल इंट्रोड्यूस किया था।

श्री प्रमोद महाजन : आपको गलतफहमी है। यह महिलाओं के बारे में आप जानकारी रखते हैं? इंट्रोडक्शन नहीं कंसीडरेशन और पारिसिंग के लिए लाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। **This amendment was brought before the House for consideration and passing, but the House was not in a state where they could consider it.** मैं इस सोमवार को ला सकता हूँ, सवाल लाने का नहीं है। (व्यवधान) फिर संसद में वही हाल करने से संसद की शोभा नहीं बढ़ती। इसलिए मेरी सभी दलों से प्रार्थना है कि इसमें आपस में विचार करके किसी एकमत पर आ जाइए तो उसके बाद महिला आरक्षण देना आसान होगा। इसलिए सरकार की ओर से कोई इच्छाशक्ति और मानसिकता की कमी नहीं है, हम महिलाओं का आरक्षण चाहते हैं, जैसा बिल बना है उसे वैसा ही पारित करना चाहते हैं। लेकिन पारित करने का अधिकार संसद को है, सरकार को नहीं है और एक बार संसद में माहौल बना **At 24-hour notice, I am ready to bring this Bill for consideration and passing, if there is a general agreement in the Parliament.**
